क्रम-संख्या–58(ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 31 मार्च, 2023

चैत्र 10, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–2

संख्या 3 / 2023 / 345 / 94-स्टा0नि0-2–2023-700(36)-2023

लखनऊ, 31 मार्च, 2023

अधिसूचना

आदेश

प०आ०–228

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ नई इकाई की स्थापना हेतु नीचे सारणी के स्तम्भ–4 में यथा दर्शित लिखत के सम्बन्ध में पूर्वोक्त नीति के प्रस्तर–12.2 के अनुसार स्तम्भ–3 में यथा दर्शित सीमा तक स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2022 का प्रस्तर	प्रयोजन	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति
1	2	3	4
12.2	बुन्देलखण्ड एवं पूर्वान्चल में स्टाम्प से छूट	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची–1(ख) के अनुच्छेद–23 के खण्ड–(क) के अधीन हस्तान्तरण की लिखत पर

1	2	3	4
	मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़कर) में स्टाम्प शुल्क पर छूट।	75%	
	गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद में स्टाम्प शुल्क पर छूट।	50%	

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोल्लिखित छूट निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1–जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, उद्योग को हस्तान्तरण/पट्टा के लिखत की पुष्टि करनी होगी कि विलेख, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अधीन निष्पादित किया जा रहा है और उन्हें उक्त प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में भी हस्ताक्षर करना होगा।

2–किसी अन्य नीति के अधीन स्टाम्प शुल्क छूट की प्रसुविधा प्राप्त कर चुकी इकाई इस नीति और अधिसूचना के अधीन स्टाम्प शुल्क माफी/छूट के लिए पात्र नहीं होगी।

3–अधिसूचित उपबंधों का क्रियान्वयन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी/विद्यमान प्रक्रियागत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

4–उपर्युक्त अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध, नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी शासनादेश के दिनांक से प्रभावी माने जायेंगे।

स्पष्टीकरण–इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए–

''पूर्वांचल'' में प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या तथा देवीपाटन राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे, ''मध्यांचल'' में लखनऊ एवं कानपुर राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे और ''बुन्देलखण्ड'' में चित्रकूट धाम एवं झांसी राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे। ''पश्चिमांचल'' में आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और मेरठ (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़कर), राजस्व मण्डल सम्मिलित हैं।

आज्ञा से,
लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 3/2023/345/94-S.R.-2-2023-700(36)-2023 dated March 31, 2023 :

No. 3/2023/345/94-S.R.-2-2023-700(36)-2023

Dated Lucknow, March 31, 2023

IN exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time, in its application to Uttar Pradesh *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to remit the Stamp Duty, for establishing new unit under the Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy, 2022, in accordance with the Para 12.2 of the aforesaid Policy, for the purposes specified therein, to the limit as mentioned in column-3 of the table below in relation to the instrument as shown in Column 4.

Para of Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy, 2022	Purpose	Exemption Limit	Nature of Investment
1	2	3	4
12.2	Stamp duty exemption in Bundelkhand and Purvanchal	100%	On the instrument of conveyance under Clause (a) of Article 23 of Schedule 1(b) of the Indian Stamp Act, 1989
	Exemption on stamp duty in Madhyanchal and Paschimanchal (except Gautam Buddh Nagar and Ghaziabad districts).	75%	
	Stamp duty exemption in Gautam Buddh Nagar and Ghaziabad	50%	

The aforementioned exemption under this notification is subject to the following prohibitions/conditions:–

1. The District Magistrate/Deputy Commissioner of Industries shall confirm in the Instrument of conveyance/Lease that the deed is being executed under the **Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy, 2022** and also signs as a witness for the said purpose.
2. The unit which has obtained the benifit of stamp duty exemption under any other policy shall not be eligible for a stamp duty remittance/exemption under this policy and notification.
3. The implementation of the notified provisions shall be done according to the extant procedural guidelines issued by the Stamp and Registration Department.
4. The provisions mentioned in the above notification will be considered effective from the date of the Government order issued by the Administrative Department (I.I.D.D.) regarding the implementation of the policy.

Explanation-For the purpose of this notification**-**

"Purvanchal" shall include the revenue divisions of Prayagraj, Varanasi, Mirzapur, Azamgarh, Basti, Gorakhpur, Ayodhya and Devipatan. "Madhyanchal" shall include the revenue divisions of Lucknow and Kanpur and the "Bundelkhand" shall include the revenue divisions of Chitrakoot Dham and Jhansi. The revenue divisions of Agra, Aligarh, Muradabad, Saharanpur, Bareily & Meerut (except Gautam Buddh Nagar and Ghaziabad district) is included in "Pashimanchal".

By order,
LEENA JOHRI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 132 राजपत्र–2023–(168)–599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3 सा0 स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन–2023–(169)–150 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

132 RPH Stamp & Registration-2, 2023 data 4e